

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/बजट आंवटन/18890/13-14/23 दिनांक:- २५।१२।।३

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा

विषय:-शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम विस्ता के पुनर्भरण हेतु बजट आंवटन बाबत।

प्रसंग:-वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/बजट/बी-३/आरटीई/2013-14/85 दिनांक 19.12.13 एवं 78-84 दिनांक 17.12.13

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में किए प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को सत्र 2013-14 में प्रथम किस्त के पुनर्भरण के संबंध में वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/बजट/बी-३/आरटीई/2013-14/85 दिनांक 19.12.13 एवं 78-84 दिनांक 17.12.13 द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है। इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2013-14 के प्रथम किस्त हेतु पुनर्भरण का कार्य 10 जनवरी 2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लें व उपयोग में ली गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता विवरण पत्र गी आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

उप निदेशक(आरटीई)/२५।१२।।३  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

- प्रतिलिपि:- 1 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समर्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर अनुपालना करवावें।  
2 उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....

उप निदेशक(आरटीई)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर